न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2024/125 दायरा दिनांक : 16.07.2024

उनवान

गिरिराज आयु 49 वर्ष आत्मज श्री कन्हैयालाल, जाति माली, निवासी केशोरायपाटन, तहसील केशोरायपाटन, जिला बून्दी (राज०)

.... अपीलांट

बनाम

1. रामप्यारी पुत्री श्री भैरूलाल, जाति माली, निवासी सत्तूर बड़ौदिया, तहसील बून्दी, जिला बून्दी (राज०)
2. जगदीश आत्मज श्री कन्हैयालाल, जाति माली
3. छोटूलाल आत्मज श्री कन्हैयालाल, जाति माली
4. पप्पूलाल आत्मज श्री कन्हैयालाल, जाति माली
5. गोपीलाल आत्मज श्री कन्हैयालाल, जाति माली, निवासीगण केशोरायपाटन, तहसील केशोरायपाटन, जिला बून्दी (राज०)
6. प्रेमबाई पुत्री कन्हैयालाल पत्नी श्री दिनेश कुमार, जाति माली, निवासी ग्राम जाखमूण्ड, बून्दी की बावडियां, तहसील बून्दी, जिला बून्दी
7. रुकमणीबाई पत्नी स्व० कन्हैयालाल, जाति माली, निवासी केशोरायपाटन, तहसील केशोरायपाटन, जिला बून्दी (राज०)
8. शाखा प्रबन्धक महोदय बैंक ऑफ बडोदा, शाखा अटरू, जिला बारां (राज०)
9. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार साहब, तहसील अटरू, जिला बारां (राज०)

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री तेजमल जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री दिलीप शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 3 लगायत 7 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 27.05.2025

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या – 74/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 02.07.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट गिरिराज ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम एवं माल छजावा, तहसील

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अटरू, जिला बारां में वादी तथा प्रतिवादी कम 1 लगायत 7 के शामलाती खाते की आराजी खाता संख्या 49 का खसरा नं. 830 रकबा 0.17 हेक्टेयर, खसरा नं. 833 रकबा 0.02 हेक्टेयर, खसरा नं. 841 रकबा 0.08 हेक्टेयर, खसरा नं. 898 रकबा 0.26 हेक्टेयर, खसरा नं. 1019/1453 रकबा 0.10 हेक्टेयर, खसरा नं. 1020 रकबा 0.11 हेक्टेयर, खसरा नं. 1024 रकबा 0.95 हेक्टेयर खसरा नं. 1025 रकबा 1.56 हेक्टेयर, खसरा नं. 1029/1454 रकबा 0.05 हेक्टेयर, खसरा नं. 1029/1455 रकबा 0.04 हेक्टेयर, खसरा नं. 1030 रकबा 0.18 हेक्टेयर कुल किता 11 कुल रकबा 3.52 हेक्टेयर स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 02.07.2018 से वादी का वाद आपसी सहमति से स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि निर्णय एवं डिक्री योग्य अधीनस्थ न्यायालय विधी, न्याय एवं संचिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने बंटवारे के वाद में प्रारम्भिक व फाईनल डिक्री नहीं बनाने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारों ने राजीनामा पेश कर दिया था, जिसे न्यायालय ने तस्दीक कर दिया था। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि न्यायालय ने जिस प्रकार आदेश दिया है, वह इन्द्राज तो पहले से ही जमाबन्दी में है। अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकारों के हिस्से के अनुसार खाते में उल्लेखित खसरा नम्बरों के हिसाब से पक्षकारों के अलग अलग खाते दर्ज करने का आदेश देना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय की डिक्री वास्तव में प्रारम्भिक डिक्री है, जिसकी फाईनल डिक्री के लिये कार्यवाही की जानी चाहिए। वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम एवं माल छजावा, तहसील अटरू, जिला बारां की खाता संख्या 49 की कुल किता 11 कुल रकबा 3.52 हेक्टेयर स्थित है। फाईनल डिक्री की कार्यवाही के सम्बन्ध में अपीलाण्ट ने प्रार्थना–पत्र भी अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज कर दिया। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को फाईनल डिक्री जारी करने के लिये निर्देशित किया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 25.06.2024 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेंमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि सभी पक्षकार एक ही परिवार के सदस्य हैं, सभी पक्षकारों का जमाबंदी में नाम है। अधीनस्थ न्यायालय में हिस्से के अनुसार व कब्जे के अनुसार बंटवारे का वाद पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारों ने राजीनामा पेश कर रखा है। अधीनस्थ न्यायालय ने दावे का निर्णय घोषणात्मक रूप से किया है। जमाबंदी के अनुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी कर निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि हम अपीलांट के वक्तव्य से सहमत है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट द्वारा अन्तर्गत धारा 53, 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तहत् दावा पेश कर कथन किया है कि ग्राम एवं माल छजावा, तहसील अटरू, जिला बारां में वादी तथा प्रतिवादी कम 1 लगायत के शामलाती खाते की आराजी खाता संख्या 49 की कुल 11 किता का कुल रकबा 3.52 हेक्टर आराजी में से अपने कब्जे काश्त की 1/3 आराजी का विभाजन कर पृथक खाते दर्ज करने, इसी तरह से प्रतिवादिया कम 1 का 1/6 हिस्सा कब्जे काश्त को ध्यान में रखते हुए पृथक खाते दर्ज करने तथा शेष 1/2 हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी कम 2 लगायत 7 के पृथक से राजस्व रिकॉर्ड में खाते दर्ज करने का अनुतोष चाहा है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 ने दिनांक 02.07.2018 को इकबाली जवाबदावा पेश कर वाद पत्र में चाहे गये अनुतोष के मुताबिक वादी का वाद डिक्री फरमाने का अनुरोध किया तथा साथ ही राजीनामा भी पेश किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 02.07.2018 के अनुसार इकबाली जवाब एवं राजीनामा पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने राजीनामा स्वीकार कर वादी का वाद स्वीकार कर निर्णय व डिक्री पारित की परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री में मुताबिक राजीनामा विवादित आराजी का बंटवारा नहीं किया और ना ही अंतिम डिक्री जारी की। इसी कारण दौराने बहस अपीलांट व रेस्पोडेंट ने राजीनामे के अनुसार प्रकरण का निस्तारण करने हेतु प्रकरण

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने का अनुतोष चाहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत इकबाली जवाब और राजीनामे के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के कब्जे व जमाबंदी दर्ज हिस्से अनुसार आराजी का बंटवारा नहीं किया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.07.2018 खारिज की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर उभयपक्ष के सहमत होने की स्थिति में प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार खाता पृथक करने हेतु पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.07.2025 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/05/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा